

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक-पि0व0/02/ब0 एवं आ0-17-01/2022- 22;

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
पटना।

पटना, दिनांक- 11/03/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, पटना द्वारा बिहार दिवस के अवसर पर गाँधी मैदान, पटना में स्टॉल अधिष्ठापन हेतु कार्यालय व्यय मद में कुल राशि रू0 4,50,000/- (रू0 चार लाख पचास हजार) मात्र का आवंटन।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय, पटना द्वारा बिहार दिवस के अवसर पर गाँधी मैदान, पटना में स्टॉल अधिष्ठापन हेतु कार्यालय व्यय मद में कुल राशि रू0 4,50,000/- (रू0 चार लाख पचास हजार) मात्र आवंटित की जाती है।

2-कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03- पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 001-निर्देशन और प्रशासन, उप शीर्ष 0003-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण-क्षेत्रीय कार्यालय, विषय शीर्ष 13.01 कार्यालय व्यय इकाई से, विपत्र कोड संख्या-11-2225-03-001-0003 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3-इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना होंगे। उप विकास आयुक्त, पटना इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। राशि का व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष समाप्ति के तत्काल बाद विभाग को भेजा जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5-प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6-प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

7-इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(अनिल कुमार ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/02/ब0 एवं आ0-17-01/2022- 22 , पटना, दिनांक- 11/03/2026

प्रतिलिपि-(1) वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/प्रमंडलीय उप निदेशक, पटना प्रमण्डल, पटना, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/अनुमण्डल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना/विभागीय बजट शाखा को (CFMS प्रणाली के अन्तर्गत प्रविष्टि करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(5) आई०टी० मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।